

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक 03-दिसंबर, 2021

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2022 में चलाए जाने वाले (ऑनलाइन) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

कोविड 19 महामारी के मद्देनजर राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 140/12/2020 दिनांक 23 जुलाई, 2020 में दिए गए प्रशिक्षण संबंधी निर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2022 में स्थिति सामान्य होने तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक I के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। स्वैच्छिक: अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों हेतु	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राप्ति आदि।

- * हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 टैलीफैक्स/Telefax 011-23793517/23018740

ईमेल/e-mail : tsgahan-cthi-dol@gov.in वेबसाइट/Website : <http://cthi.rajbhasha.gov.in>

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	अनुलग्नक I के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य : सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। स्वैच्छिक : 1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

विशेष टिप्पणी

ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय से ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने कार्मिकों को कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों, यथा-डेस्कटॉप/लैपटॉप, वेबकैम, हैंडफोन, इंटरनेट आदि का उपयोग करने एवं हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि जैसे ही भारत सरकार द्वारा भौतिक रूप से प्रशिक्षण चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी प्रशिक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से अपने-अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षार्थियों की कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रबंधन का होगा।

उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत एवं अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

हिंदी आशुलिपि

1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक-11 पर उल्लिखित विधि के अनुसार "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi को ऑनलाइन किया जा सकता है।

नामांकन विधि

- ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण अनुलग्नक-III में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (ट/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश की पुष्टि ई-मेल के माध्यम से की जाएगी।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और Email-ID अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कर्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, प्रवेशित अधिकारियों/कर्मचारी प्रत्येक कार्यदिवस में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित होंगे।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल tsgahan-ctti-dol@gov.in द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,


(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
7. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
9. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
11. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
12. उप निदेशक, परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नई दिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै तथा मुंबई।
13. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
14. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
15. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
16. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के परिपत्र को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
17. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बेंगलुरु/हैदराबाद तथा मुंबई।
18. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
19. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

भवदीय,


(डॉ. बरुण कुमार)
निदेशक

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 13.01.2022 से 14.12.2022 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	13.01.2022 से 11.03.2022
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	14.03.2022 से 12.05.2022
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	06.06.2022 से 29.07.2022

हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	22.08.2022 से 14.12.2022

विशेष टिप्पणी:-

यदि किसी कारणवश किसी प्रशिक्षण केंद्र पर हिंदी आशुलिपि गहन प्रशिक्षण कक्षाओं का गठन नहीं होता है तो इसके स्थान पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण गहन प्रशिक्षण के निम्नलिखित दो सत्रों की कक्षाओं का गठन एवं संचालन किया जाएगा:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	22.08.2022 से 17.10.2022
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	18.10.2022 से 14.12.2022

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

स्टैप-1

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com ओपन करें, फिर STATE BANK COLLECT उप-शीर्षक पर जाएं।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com के मुख्य शीर्षक STATE BANK OF INDIA पर क्लिक करें, फिर STATE BANK COLLECT नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

स्टैप-2

STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में ALL INDIA का चयन करें, उसके बाद TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION में GOVERNMENT DEPARTMENT चुनें एवं GO पर क्लिक करें।

स्टैप-3

GOVERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले कॉलम के पुल-डाउन मेन्यू से HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA का चयन करें।

स्टैप-4

SELECT PAYMENT CATEGORY में HINDI TEACHING SCHEME को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

स्टैप-5

फार्म को भरने के बाद SUBMIT करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को CONFIRM करके PAYMENT करें।

स्टैप-6

PAYMENT करने के बाद RECEIPT के पिट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि/अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण
प्रशिक्षण सत्र दिनांक से तक

क्र.सं.	प्रशिक्षार्थी का विवरण (हिंदी में)	Details of Scholars (In English Capital Letters)
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम :	Name of candidate :
2.	लिंग (स्त्रीपुरुष/) :	Gender (F/M) :
3.	पिता: पति का नाम/	Name of Father's/Husband's :
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation of trainee :
5.	मातृभाषा :	Mother tongue :
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर स्नातकोत्तर/दसवीं/इंटरमीडिएट/स्नातक/आठवीं/ पांचवीं/प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ	Knowledge of Hindi : PostGraduate / Graduate / Intermediate/ Tenth / Eighth / Fifth / Prabodh / Praveen / Pragya
7.	मंत्रालय :	Name of Ministry :
8.	विभाग का नाम :	Name of Department :
9.	कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष :	Full office address with phone number :
10.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल :	Name, Designation & Email of the Nominating Officer :
11.	कार्मिकों की ई मेल आईडी/E-mail ID (Official or personnel):	
12.	मोबाइल/Mobile :	

घोषणा:- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इससे पूर्व हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और न ही परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रशिक्षण की अवधि में मेरे लंबी छुट्टी पर जाने की कोई संभावना नहीं है।

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011

दूरभाष 011-23793517
फैक्स 011-23018740, मो.नं. 7416551976
E-mail-tsgahan-ctti-dol@gov.in

उप संस्थानों के पते

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नंबर-30, तीसरा तल, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001

दूरभाष 033-22304062
मो. 7002900757
E-mail- ctti1067@nic.in
E-mail-dheerajlaladts@gmail.com

2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,
सेक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614

दूरभाष 022-27572705/275727060
फैक्स 022-27565417
मो. 9540865812
ईमेल-ctti1070-dol@nic.in

3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चौथा तल, कमरा नंबर-403,
सी.जी.ओ. टॉवर्स, कवाड़ीगुड़ा,
सिकंदराबाद-500 080

दूरभाष 040-24767755/27532299/27537211
फैक्स 040-27538866
मो. 7907638288, 7736365909
E-mail- ctti1068@nic.in
ईमेल-kumarsantoshnfc0788@gmail.com

4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, 5^{वां} तल,
केंद्रीय सदन, कोरमंगला,
बैंगलुरु - 560034

दूरभाष 080-25537087
मो. 8310869315
ईमेल-ctti1064@nic.in